बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 128475 पटना, दिनांक 07/11/12

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(वि0अभि0व्यय)-102-28/2012

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ई-मेल

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन, आवासों की स्वीकृति एवं सहायता अनुदान भुगतान हेतु विशेष अभियान चलाने संबंधी व्यवस्था पर व्यय हेतु ₹ 639.998 (छः करोड़ उनचालीस लाख निन्यानवे हजार आठ सौ) रूपये का आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-126256 दिनांक-16.10.12

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन, आवासों की स्वीकृति एवं सहायता अनुदान भुगतान हेतु विशेष अभियान चलाने संबंधी व्यवस्था पर व्यय हेतु सम्प्रति ₹ 639.998 (छः करोड़ उनचालीस लाख निन्यानवे हजार आठ सौ) रूपये निम्न रूप से (कॉलम-4) आवंटित की जाती है :-

क्र0 स0	जिला का नाम	विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 126256 दिनांक 16.10.12 द्वारा स्वीकृत राशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2012-13 में वर्तमान आवंटन की राशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4
1	अररिया	36.738	**23.553**
2	अरवल	6.757	**4.332**
3	औरंगाबाद	18.223	**11.683**
4	बांका	15.996	**10.255**
5	बेगूसराय	26.275	**16.845**
6	भभुआ	13.666	**8.762**
7	भागलपुर	27.347	**17.533**
8	भोजपुर	20.858	**13.372**
9	बक्सर	13.435	**8.614**
10	दरभंगा	40.629	**26.048**
11	पूर्वी चम्पारण	50.162	**32.159**
12	गया	35.298	**22.630**
13	गोपालगंज	26.689	**17.110**
14	जमुई	13.661	**8.758**
15	जहानाबाद	8.673	**5.560**
16	कटिहार	31.890	**20.445**

क्र0 स0	जिला का नाम	विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 126256 दिनांक 16.10.12 द्वारा स्वीकृत राशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2012-13 में वर्तमान आवंटन की राशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4
17	खगडिया	16.366	**10.492**
18	किशनगंज	18.395	**11.793**
19	लखीसराय	7.991	**5.123**
20	मधेपुरा	26.598	**17.052**
21	मधुबनी	50.823	**32.583**
22	मुंगेर	14.621	**9.374**
23	मुजफ्फरपुर	52.530	**33.678**
24	नालंदा	21.485	**13.774**
25	नावादा	16.696	**10.704**
26	पटना	33.301	**21.350**
27	पूर्णियां	47.123	**30.211**
28	रोहतास	21.088	**13.520**
29	सहरसा	27.226	**17.455**
30	समस्तीपुर	40.475	**25.949**
31	सारण	35.430	**22.715**
32	शेखपुरा	5.687	**3.646**
33	शिवहर	9.945	**6.376**
34	सीतामढ़ी	33.907	**21.738**
35	सीवान	27.876	**17.871**
36	सुपौल	30.317	**19.437**
37	वैशाली	32.476	**20.821**
38	प0 चम्पारण	41.611	**26.677**
	कुल	**998.262 (नौ करोड़ अंठानवे लाख छब्बीस हजार दो सौ)**	**639.998 (छः करोड़ उनचालीस लाख निन्यानवे हजार आठ सौ)**

2) राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-126256 दि0-16.10.12 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।

3) आवंटित राशि मुख्य शीर्ष-2216-आवास-उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास-लघु शीर्ष-105-इंदिरा आवास योजना-उप शीर्ष-0104-इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग, विपत्र कोड-पी.2216031050104, राज्य योजना स्कीम कोड-RUR-5373, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4) आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

5) उप विकास आयुक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-126256 दिनांक-16.10.12 के साथ संलग्न मदवार/जिलावार विवरणी के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय हेतु संबंधित कार्यालय यथा प्रमंडलीय आयुक्त, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी राशि का उप आवंटन करेंगे ।

6) आवंटित राशि का लेखा-जोखा, रोकड़ बही, आदि का संधारण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं अन्य संबंधित कार्यालय में अलग से किया जायेगा ।

7) विभागीय मांग संख्या-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2216 के लिए सभी उप विकास आयुक्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्व से घोषित हैं, अतएव वित विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

8) आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन के क्रम में बिहार वित्तीय नियमावली/बिहार कोषागार संहिता/बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि.(2) दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अक्षरश: एवं दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

9) आवंटित राशि से अधिक या गलत निकासी एवं व्यय की सारी जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

10) आवंटित राशि के व्ययोपरान्त व्यय विवरणी टी.भी.सं. एवं तिथि सहित तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना तथा ग्रामीण विकास विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय ।

11) प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी विशेष अभियान के लिए आवंटित राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करेंगे ।

12) गत वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में विशेष अभियान के लिए आवंटित राशि का वर्षवार एवं मदवार व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रमश: 30.11.12 एवं 31.03.13 तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा । वर्ष 2013-14 में इस प्रयोजनार्थ राशि तभी उपावंटित की जायेगी जब उक्त दोनों वर्षों के आवंटन का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जायेगा ।

13) इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 128475 पटना, दिनांक 07/11/12

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 128475 पटना, दिनांक 07/11/12

प्रतिलिपि- वित विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-5 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव